राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्र.प.16(22)/एम.ई./ग्रु-1/2020

दिनांक: 29 JUN 2020

परिपत्र

विभाग द्वारा समय-समय पर चिकित्सक शिक्षकों को DACP के तहत पदोन्नति दी जा रही है । परंतु चिकित्सक शिक्षकों की पदोन्नति से अस्पताल का कार्य प्रभावित न हो यह सुनिश्चित करने के लिये निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. प्रधानाचार्य एवम नियंत्रक यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार चिकित्सक शिक्षकों का नियमित रूप से ड्यूटी चार्ट जारी करें ।
2. चिकित्सक शिक्षक के पदनाम सहायक/सह/आचार्य/आचार्य/वरिष्ठ आचार्य तथा विशेषज्ञता से इस का कोई सम्बंध नही होगा । इस सम्बंध में कोई वित्तीय अथवा सेवा सम्बंधी अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा ।
3. यह पूर्णत: प्रशासनिक निर्णय/व्यवस्था होगी एवम चिकित्सक शिक्षक द्वारा इस सम्बंध में प्रस्तुत कोई भी वरीयता/प्राथमिकता सम्बंधी परिवाद/शिकायत विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी ।
4. चिकित्सक शिक्षक द्वारा उसे विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य नहीं करने/अवज्ञा करने पर विभागाध्यक्ष द्वारा तुरंत प्रधानाचार्य को लिखित मे सूचित करना आवश्यक है ।
5. प्रधानाचार्य एवम नियंत्रक इस सम्बंध में नियमानुसार राज्यादेश की अवज्ञा का प्रकरण बनाते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे व पालना न होने की स्थिति में राज्य सरकार को अवगत कराएंगे ।

29.06.2020

(रमेश चंद्र आर्य)

उप-शासन सचिव

प्रतिलिपी:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन चिकित्सा शिक्षा /एकेडेमिक
4. समस्त प्रधानाचार्य एवम नियंत्रक मेडिकल कॉलेज
5. रक्षित पत्रावली

29.06.2020

उप-शासन सचिव

Scanned by CamScanner